

**\*प्रेस नोट\***

**\*जनपद भदोही\***

**\*दिनांक: 27 सितम्बर 2026\***

**\*थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा जानलेवा हमले के मामले में दो अभ्युक्तों को कब्जा किया गया गिरफ्तार , हमले में प्रयुक्त चाकू बरामद।\***

**\*घटना का संक्षिप्त वर्णन:\***

दिनांक 20.09.2026 को सुबह करीब 9:00 बजे ग्राम दुलहीपुर, थाना ज्ञानपुर में सर्वजीत गुप्ता शौच से घर लौटते समय सभाजीत गुप्ता के दरवाजे पर पहुँचे तो पुरानी रंजिश को लेकर सभाजीत गुप्ता, पन्टू गुप्ता एवं अन्य अभ्युक्त लाठी-डण्डा व चाकू लेकर गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर पन्टू गुप्ता ने जान से मारने की नियत से सर्वजीत गुप्ता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर पुत्र अजय कुमार गुप्ता बीच-बचाव करने आए तो उन्हें भी घायल कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ज्ञानपुर पर मु०अ०सं० 242/2026 धारा 109(1)/118(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर व धक कार्यवाही प्रचलित की गई।

**\* गिरफ्तारी का वर्णन:-\***

दिनांक 27.09.2026 को थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम दुलहीपुर से अभ्युक्त सभाजीत गुप्ता व पन्टू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। अभ्युक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर व धक कार्यवाही के उपरान्त अभ्युक्तों का चालान मा० न्यायालय किया गया।

**\* गिरफ्तार अभ्युक्त का वर्णन:-\***

- 1.सभाजीत गुप्ता, पुत्र शिवमूरत गुप्ता, उम्र 59 वर्ष, निवासी दुलहीपुर, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।
2. पन्टू गुप्ता, पुत्र सभाजीत गुप्ता, उम्र 34 वर्ष, निवासी दुलहीपुर, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही।

**\* गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-\***

उप निरीक्षक भारत भूषण सिंह, उप निरीक्षक सतेन्द्र राय, हेड कांस्टेबल छठूलाल गुप्ता एवं महिला कांस्टेबल सीमा यादव थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही।